



पत्रांक- माँ वि०वि०/कु०स०का०/ 570/2026-27

दिनांक: 28 जुलाई, 2026

कार्यालय ज्ञाप

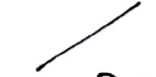
माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय मीरजापुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों में 33 प्रतिशत सीट वृद्धि की मांग के क्रम में कार्यालय आदेश पत्रांक-माँ वि०वि०/कु०स०का०/568/2026-27, दिनांक-27.07.2026 द्वारा गठित समिति की संस्तुति एवं शासनादेशों तथा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के परिनियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार याचित महाविद्यालयों में स्वीकृत सेक्शन में 60 के स्थान पर 80 सीटों पर प्रवेश की अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत प्रवेश सम्बन्धी तथा आरक्षण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही नियमों के विपरीत असंगत तरीके से किये गये प्रवेश विधिमान्य नहीं होंगे तथा प्रवेश में किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो इसके लिए संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।


कुलसचिव

प०सं०- संख्या एवं दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा० कुलपति जी को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय मीरजापुर।
3. गार्ड फाइल।


कुलसचिव